

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/वित्त विभाग/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग/
व्यावसायिक कर (जी०एस०टी०) विभाग/ऊर्जा विभाग/वन विभाग/पर्यावरण विभाग/
सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग/कृषि विभाग/उद्यान विभाग/श्रम एवं सेवायोजन
विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग/महिला कल्याण विभाग/
नगर विकास विभाग तथा चीनी उद्योग विभाग एवं गन्जाविकास विभाग, संस्थागत
वित्त विभाग,
३०प्र० शासन।

नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ: दिनांक: 21 फरवरी, 2018

विषय: जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया/दिशानिर्देश
(Guidelines) का निर्धारण।

महोदय,

राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित विभिन्न मिशन जैसे मिशन बायोडीजल निशन
बायोएथेनाल, मिशन बायोगैस तथा मिशन प्रोड्यूसरगैस के क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा
है। इस हेतु विभिन्न शासकीय विभागों को प्रदत्त दिशा निर्देशों के क्रम में कन्वर्जेन्स के माध्यम
से उपलब्ध वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव ऊर्जा
उत्पादन कर पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को उत्तरोत्तर रूप से कम करने, अतिरिक्त
रोजगार अवसरों के सृजन तथा आर्गनिक खेती हेतु आवश्यक इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित
करने में सक्षम उक्त परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के
क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया/दिशानिर्देश (Guidelines) का निम्नवत् निर्धारण किये जाने का
राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसके विभिन्न सोपान निम्नवत् हैं:-

2.0 मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कृषि अपशिष्टों हेतु निर्देश: उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान
प्रदेश है। प्रदेश में गेहूँ तथा धान की फसलें प्रमुख रूप से होती हैं। दोनों ही फसलों की कटाई के
पश्चात जो रूठ/अवशेष खेत में बच जाते हैं, उनके निस्तारण की वर्तमान में कोई प्रभावी
व्यवस्था नहीं है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं
जिससे कृषि अवशेष के सुव्यवस्थित निस्तारण की समस्या न आए इसके बावजूद कृषि अवशेषों
को किसानों द्वारा जलाया जाता है जिससे जहां एक ओर वातावरण प्रदूषित होता है वहीं दूसरी
ओर कृषि भूमि की गुणवत्ता भी दुष्प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में ठोस जैव
अपशिष्टों के जलाये जाने से भी वातावरण प्रदूषित होता है तथा स्मोग जैसी पर्यावरणीय समस्या
पैदा होती है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बाद संख्या:- ३००८० संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य एवं ३००८० संख्या 118/2013 विक्रान्त कुमार तोंगड़ बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश में कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण के दृष्टिगत कृषि अपशिष्ट जलाने वाले किसानों से क्षेत्रफल के आधार पर जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से रोकने हेतु किसानों को रियायती दरों पर उपकरण/सुविधायें उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि कृषि अपशिष्टों के वैकल्पिक प्रयोग हेतु भी सुविधायें विकसित की जायें। उल्लेखनीय है कि फसलों की कटाई के उपरान्त बचे हुए अपशिष्ट को जलाया जाना प्रतिषिद्ध किए जाने हेतु ३०८० शासन द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या 2845/55-पर्या/15-99(पर्या)-13 दिनांक 28-10-2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है।

उक्त समस्या का मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे राज्य सरकारों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न प्रदूषण स्तरों के सापेक्ष इस प्लान में निर्धारित की गई प्रदूषण निवारण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की कार्यवाही का अनुश्रवण पर्यावरण (प्रदूषण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत कृषि अपशिष्टों का वैकल्पिक प्रयोग की सुविधाओं को विकसित कर जलाये जाने के स्थान पर उनका वैकल्पिक प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य सरकार द्वारा कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से प्रतिबन्धित कर उसके वैकल्पिक उपयोग के तौर-तरीकों को वृहद रूप से किसानों के बीच प्रसारित करने के उद्देश्य से बुलन्दशहर जनपद को "आदर्श जनपद" के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

वर्तमान में प्रदेश में 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनके द्वारा पिछले वर्ष 827 लाख टन गन्ने की पेराई की गयी। पेरे गये गन्ने के सापेक्ष 3 प्रतिशत मात्रा में प्रेश मड अपशिष्ट का उत्पादन हुआ। इसका सी०पी०सी०बी० मानकों के अन्तर्गत प्रबन्धन अति आवश्यक है। 8 किलो ग्राम प्रेस मड से 1 घन मीटर बायो गैस बनती है, जिसके शुद्धीकरण के उपरान्त लगभग 425 ग्राम बायो सी०एन०जी० प्राप्त होती है। इन परिस्थितियों में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित प्रेश मड बायो सी०एन०जी० इकाईयों हेतु एक उच्च गुणवत्ता के कच्चे माल के रूप में आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही बायो सी०एन०जी० संयंत्रों से सह उत्पाद के रूप में कुल मात्रा का 20 प्रतिशत मात्रा उच्च गुणवत्ता की आर्गनिक खाद भी प्राप्त होती है। बायो सी०एन०जी० संयंत्र में प्रेस मड के अतिरिक्त गन्ने की पत्तियाँ तथा बायोकोल उत्पादन से अवशेष बची गन्ने की खोई तथा अन्य कृषि अपशिष्ट का भी इस्तेमाल आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इससे इनोवेटिव इन्टरप्रिन्योरशिप प्रोमोशन के साथ-साथ उक्त अपशिष्टों का उपयोग होने से सम्बन्धित चीनी मिलों के अतिरिक्त गन्ना किसानों के आय संवर्धन में भी सहयोगी होगा।

3.0 जैव ईधन इकाईयों की स्थापना पर बल:-

प्रदेश के एन0सी0आर0 क्षेत्र के जनपटों में कृषि तथा अन्य जैव अपशिष्टों के जलाये जाने से उठने वाले धुएं के कारण होने वाले स्मोग तथा अन्य पर्यावरणीय प्रदूषण के स्थायी समाधान हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में कृषि अपशिष्टों के पावर जनरेशन, कम्पोस्ट या अन्य उत्पाद जैसे स्ट्रा बोर्ड, बायोकोल, बायोचार आदि बनाने में उपभोग के विकल्प तलाश करने हेतु भी मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्देशित किया गया। इस बैठक में बोर्ड के प्रस्तुतीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी। तत्क्रम में कृषि एवं अन्य जैव अपशिष्टों से बायोकोल (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) एवं बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की कार्य योजना को प्रोजेक्ट मोड में संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस प्रकार की इकाईयों की स्थापना से समस्त प्रकार के जैव ईधन जिसमें ठोस ईधन (बायोकोल-पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स), द्रव ईधन (बायोडीजल, बायो एथेनाल तथा मेथेनॉल), गैसीय ईधन (बायोगैस/बायो सी0एन0जी0) तथा ड्राप-इन-फ्यूल को उत्पादित किये जाने की व्यवस्था नीति में की जा चुकी है। परम्परागत पेट्रोल में बायो एथेनाल की उच्च मात्रा में ब्लेन्डिंग की तकनीकी सहमति को देखते हुये बायो एथेनाल उत्पादन कार्यक्रम एक बड़े बाजार का रूप ले रहा है। इसके अतिरिक्त ड्राप-इन-फ्यूल अयतन तकनीकी पर आधारित एक वैकल्पिक ईधन है जिसे आवश्यकतानुसार पेट्रोल/डीजल दोनों ही परम्परागत ईधन में ब्लैण्ड किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से डीजल/पेट्रोल के स्थान पर शतप्रतिशत भी किया जा सकता है। इसके लिये इंजन में किसी अतिरिक्त परिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं होगी। मेथेनॉल का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में लो-कास्ट स्वच्छ कुकिंग ईधन के रूप में किया जा सकता है। इसके साथ ही आंतरिक दहन इंजन में कतिपय तकनीकी संशोधन के साथ मेथेनाल का उपयोग लो-कास्ट स्वच्छ परिवहन ईधन के रूप में भी आसानी से किया जा सकता है।

4.0 उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा समय-समय पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु "जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम" के लिये प्रक्रिया का निर्धारण करने तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (Guidelines) बनाया गया है, जिसका स्वरूप निम्नवत् है:-

4.1 मिशन:

- प्रदेश के जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक विकास।
- सतत स्वरोजगार/रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान प्रदान करना।
- नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- 3 मेंगा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना।

4.2 रणनीति:

4.2.1. परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति "वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म" के अन्तर्गत "उद्यमिता मोड" पर आधारित होगी। इसके क्रियान्वयन प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान होंगे:-

- (अ) इस कार्य हेतु ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं अन्य प्रोमोशनल गतिविधियों के माध्यम से समय-समय पर प्रचार-प्रसार कर, जैव ऊर्जा परियोजना (बायोडीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस/बायो सी०एन०जी०, प्रोड्यूसर गैस (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) हेतु निवेश प्रस्ताव आमंत्रित किया जायेगा।
- (ब) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध वित्तीय संसाधन के सापेक्ष प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार तथा इच्छुक उद्यमी द्वारा अंगीकृत की गयी तकनीकी, उसकी निरन्तरता तथा परियोजना की सकल लागत एवं प्रति इकाई उत्पादन लागत के मूल्यांकन के उपरान्त ही सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। मूल्यांकन का कार्य बिन्दु सं०-४.३ (वित्तीय प्रोत्साहन) पर वर्णित विवरण के अनुसार किया जायेगा। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति के समस्त मानकों के सापेक्ष किया जायेगा। यथा आवश्यकता बोर्ड निवेशक से अतिरिक्त अभिलेख/सूचनायें प्राप्त करेगा। मूल्यांकन उपरान्त बोर्ड अपनी संस्तुति औद्योगिक इकाईयों की लागत के अनुसार स्वीकृति समिति/संशक्त समिति को निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा।

4.2.2. औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण:

4.2.2.1 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर -1): ₹० 10.०० करोड़ से कम निवेश वाली इकाईयों को सामान्य औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक अनुमोदन समिति गठित की गयी है, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- सम्बन्धित मण्डल के पुलिस उप महानिरीक्षक।
- सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी।
- सम्बन्धित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
- वाणिज्य कर विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी।
- श्रम विभाग के परिक्षेत्रीय अधिकारी।
- सम्बन्धित जिले के उप निदेशक कृषि।
- विद्युत विभाग के वरिष्ठतम मण्डलीय अधिकारी।
- ३०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला प्रबन्धक लीड बैंक।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी।
- कारखाना निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारी।
- परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग।
- सम्बन्धित जिले के परियोजनाधिकारी, यू०पी० नेडा।
- उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण।

- सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के क्षेत्रीय अधिकारी जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
- राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

~~वैठक की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट का आलेख्य प्रसारित किया जाएगा, जिस पर सम्बन्धित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। इसके पश्चात ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।~~

4.2.2.2 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-2): ₹० 10.00 करोड़ से अधिक तथा ₹० 100.00 करोड़ से कम निवेश वाली इकाईयों को सामान्य औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्वीकृति समिति गठित की जायेगी, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, व्यायाय विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, ३०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग।
- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग।
- सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
- राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

~~वैठक की कार्यवाही के आधार पर सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट का आलेख्य प्रसारित किया जाएगा, जिस पर सम्बन्धित विभाग अपनी सहमति अंकित करेंगे। इसके पश्चात ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।~~

4.2.2.3. मेंगा औद्योगिक इकाई: ₹० 100.00 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाईयों को मेंगा औद्योगिक इकाई के रूप में व्यवहृत किया जायेगा। ऐसी परियोजनाओं के लिए मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर मा० मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। सशक्त समिति के निम्न सदस्य होंगे:-

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, व्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग।
- सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण/संस्था के प्रमुख सचिव, जिनसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।
- आवश्यकतानुसार, विशेषज्ञ संस्थाओं जैसे-नाबांड कन्सलटेन्सी सर्विसेज अथवा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से सम्बद्ध विशेषज्ञ संस्थानों अथवा सम्बन्धित क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञ संस्थानों में से किसी एक से विशेषज्ञ प्रतिनिधि।
- राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गत हो जाने के पश्चात उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा पात्र इकाई को औपचारिक स्वीकृति पत्र/लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जायेगा।

4.3 वित्तीय प्रोत्साहन:

4.3.1 राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित समस्त कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित छूट की सुविधा प्रस्तावित है:-

4.3.1.1 पूँजी उपादान

4.3.1.1.1 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-1) परियोजना लागत का 25 प्रतिशत प्रति इकाई पूँजीगत उपादान की अनुमन्यता होगी।

4.3.1.1.2 सामान्य औद्योगिक इकाई (स्तर-2) परियोजना लागत का 20 प्रतिशत प्रति इकाई पूँजीगत उपादान की अनुमन्यता होगी।

4.3.1.2 स्टाम्प इयूटी छूट

इकाई की अवस्थापना हेतु भूमि क्रय हेतु स्टाम्प इयूटी की शत-प्रतिशत छूट की सुविधा उपलब्ध होगी।

4.3.1.3 एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति

स्थिर पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक एस0जी0एस0टी0 की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

4.3.2 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन

4.3.2.1 पूँजीगत उपादान

रु0 100.00 करोड़ से अधिक लागत वाली मेंगा परियोजनाओं को अन्य प्रोत्साहनों के साथ परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 150.00 करोड़ प्रति इकाई पूँजीगत उपादान अनुमन्य होगा।

नोट:-

1. परियोजना लागत की परिभाषा एवं अन्य परिभाषायें तथा प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु आवेदन एवं वितरण की प्रक्रिया ३०प्र० औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली के अनुरूप होंगी, जिसके लिए पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।
 2. योजनान्तर्गत वित्तीय उपादान की गणना करते समय परियोजना लागत में भूमि एवं प्रशासकीय भवन की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 3. उपरोक्त वित्तीय प्रोत्साहन उन परियोजनाओं पर अनुमन्य नहीं होगा जिनमें शासन की अंशधारिता 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होगी।
 4. जिन परियोजनाओं को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य है उन परियोजनाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जहाँ विद्युत विक्रय पावर परचेज एण्ड मेन्ट के आधार पर लाइसेंसी को किया जाना हो उन परियोजनाओं को इस नीति में वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।
 5. उन परियोजनाओं को वरीयता दी जायेगी जिसकी तकनीकी सिद्ध (Proven) तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। साथ ही सम्बन्धित तकनीकी का भविष्य में भारतीयकरण किये जाने की भी सुनिश्चितता हो। साथ ही अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की क्षमता हो।
 6. किसी भी इकाई को सभी स्रोतों से मिलने वाली वित्तीय रियायतें इकाई द्वारा किये गये स्थिर निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। स्थिर निवेश में भूमि तथा प्रशासनिक भवन सम्मिलित नहीं होगा।
 7. नीति के अन्तर्गत प्रथम 3 मेंगा औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कमफर्ट निर्गत किये जाने अथवा स्वीकृत बजट की अनुमन्य सीमा तक प्रोत्साहनों का वितरण हो जाने अथवा 03 वित्तीय वर्ष तक, जो भी पहले समाप्त हो, के उपरान्त नीति का पुनर्विलोकन शासन द्वारा किया जायेगा।
- 4.3.3 उक्त वित्तीय सुविधाएं नीति के सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात उन उद्योगों पर लागू होगी जिनकी स्थापना की कार्यवाही इस नीति के लागू होने के उपरान्त होगी तथा जिनकी स्वीकृति इस नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।

4.3.4 क्रियान्वयन:- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा किया जायेगा।

5.0 कार्बन क्रेडिट सुविधा:

जैव ऊर्जा के विकास एवं उपयोग के माध्यम से ग्रीन हाइस गैसों के उत्सर्जन में होने वाली कमी को दृष्टिगत रखते हुए कार्बन क्रेडिट सुविधा UNCFCC (United Nation's Convention For Climate Change) के मानकों के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु आवश्यक समन्वय उठाप्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा दिया जायेगा।

6.0 गुणवत्ता मानक:

6.1 भारतीय मानक व्यूरो (बी0आई0एस0) द्वारा बायो डीजल हेतु पहले से ही एक मानक (ई0एस0-15607) विकसित कर रखा है जो अमेरिकन मानक ए0एस0टी0एम0- डी0-6751 एवं यूरोपीय मानक ई0एन0-14214 से लिया गया है। इसके अलावा भारतीय मानक व्यूरो ने 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत बायो एथेनाल ब्लेण्ड सहित पेट्रोल का मानक आई0एस0-2796: 2001 विकसित किया है।

6.2 बायो एथेनाल, बायोडीजल, ड्राप-इन-फ्लूल, मेथेनॉल तथा अन्य बायो फ्लूल के उत्पादन में भारतीय मानक व्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7.0 जैव ईंधन का आयात एवं निर्यात:

7.1 खेतों में फसल कटाई के उपरान्त बचे कृषि अपशिष्ट को प्रायः कृषकों को अगली फसल की तैयारी से पूर्व जला दिया जाता है। उक्त कृषि अपशिष्ट का प्रयोग बायोमास के रूप में जैव ईंधन तैयार किए जाने हेतु किया जा सकता है। जैव ऊर्जा उद्यम हेतु आवश्यक मुख्य कच्चे माल के आयात की अनुमति नहीं होगी।

7.2 फसल कटाई के उपरान्त वर्ष के अवशेष दिनों में सम्बन्धित उद्यम को आवश्यक बायोमास हेतु "वैल्यू-चैन-मैकेनिजम" के अन्तर्गत बोर्ड के प्रत्यक्ष समन्वय से कृषक क्लस्टर/ एफ0पी0ओ0 की सहायता से सम्बन्धित किसानों की कृषि/औद्यानिकी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि (ऊसर, परती, बंजर जल प्लावित, बीहड़ इत्यादि) पर बायोमास उत्पादन कार्यक्रम को संचालित करना होगा। कृषक क्लस्टर में सम्मिलित प्रत्येक सदस्य को जैव ऊर्जा वॉलेण्टर के रूप में नामित किया जायेगा। कच्चे माल की कीमत का निर्धारण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बाजार दर एवं उसी वित्तीय वर्ष में जैव ऊर्जा उत्पाद के बाजार मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

7.3 जैव ईंधन आयात की अनुमति की स्थिति में आयातित जैव ईंधन पर इयूटी व अन्य कर लगाये जायेंगे ताकि स्वदेशी जैव ईंधन आयातित ईंधन से महंगा न हो जाए। जैव ईंधन के उत्पादन हेतु यथा आवश्यकता फ्री फैटी ऐसिड (एफ0एफ0ए0) के आयात की अनुमति प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7.4 जैव ईंधन का निर्यात केवल उस दशा में किया जा सकेगा जबकि सम्बन्धित ईंधन के सापेक्ष हमारी आन्तरिक आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हों।

8.0 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण :

8.1 घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु विभिन्न स्तरीय जागरूकता/क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण तो होगा ही साथ ही स्वरोजगार के अवसर सृजन हेतु जैव ईंधन सेक्टर की भूमिका एवं महत्व स्वयं स्थापित हो जायेगा।

8.2 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर अधिकाधिक बल दिया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, पॉलीटेक्निक संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण हेतु उत्साहित किया जायेगा जिससे जैव ऊर्जा क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोर्स मैटेरियल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाये जिससे प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के अनुमोदन से लागू कराया जायेगा तथा छात्र-छात्राओं को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा।

9.0 पूर्व में रोपित जैव संसाधनों (बायोमास) का सुनियोजित प्रबन्धन एवं उसका जैव ऊर्जा उद्यम संचालन हेतु उपयोग:

9.1 प्रदेश में वन विभाग द्वारा पूर्व से लगाये गये नीम, महुआ, कंरज तथा अन्य तैलीय बीजोत्पादों के संग्रहण एवं उसके व्यावसायिक उपयोग की अनुमति होगी। इन बीजों के तेल से बायोडीजल उत्पादन होगा।

9.2 डिग्रेडेड वन भूमि में एग्रोफारेस्ट्री परियोजनाओं का संचालन किया जायेगा। इस कार्य में जैव ऊर्जा उद्यमों के संचालन हेतु बायोमास उत्पादन के साथ-साथ इसकी अन्तः कृषि/इसके गेस्टेशन पीरियड के दौरान विभिन्न औषधीय, संगंध पौध एवं सुपर फूड्स उत्पादन कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

9.3 पर्यावरण के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीणों/किसानों एवं उनके पालतू जानवरों हेतु पूर्णतः अभिशाप बन चुके सुबबूल के बायोमास का उपयोग बायोकोल उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप किया जायेगा। इसके बायोमास की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राज्य सरकार के एक विशेष खाते में रखी जायेगी। इस धनराशि का उपयोग सम्बन्धित क्षेत्र में नीम, महुआ, करंज, सीमारुबा तथा अन्य ऐसे वृक्षों को रोपित किये जाने में जायेगा जिनके उत्पाद का उपयोग जैव ऊर्जा उद्यमों हेतु कच्चे माल के रोपण हेतु तो होगा ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा।

9.4 महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिला समाख्या समूह द्वारा महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन/प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग, महिला सशक्तीकरण के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संचालन में नोडल विभाग के रूप में क्रियाशील है।

अतः महिला समाज्या/महिला समूहों द्वारा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के प्रस्तावित प्रयासों में योगदान दिये जाने पर विभागीय सहमति दी जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित समितियों के गठन में महिला कल्याण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मण्डल स्तर पर उक्त मुख्य परिवीक्षाधिकारी तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव को सम्मिलित किया जाना उचित होगा।

9.5 लेण्टाना तथा ऐसे ही अन्य वीड्स जो वन क्षेत्रों के विस्तार कार्यक्रम/वृद्धि को बाधित करते हैं, उनका जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु उपयोग होने से उसके साफ-सफाई पर होने वाले अतिरिक्त शासकीय व्यय को तो बचाया ही जा सकेगा साथ ही उसके संग्रहण के दौरान अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित होंगे तथा विभाग को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा।

10.0 जैव ऊर्जा उद्यमों को आवश्यक कच्चे माल (बायोमास) की उपलब्धता सुनिश्चित करना:

"जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम" के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया/दिशानिर्देश (Guidelines) के निर्धारण तैयार की गयी टिप्पणी के बिन्दु सं0-1 के विभिन्न बिन्दुओं पर कृषि अपशिष्टों/अन्य जैव अपशिष्टों के प्रबन्धन की ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा स्थापित की गयी वर्तमान प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू किया जायेगा। इस हेतु बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित जैव ऊर्जा वालण्टर्स/नाबार्ड के सहयोग से गठित होने वाले फार्मर प्रोड्यूसर आरगनाइजेशन का सहयोग प्राप्त कर प्रदेश के ऊसर, परती, बीहड, जल प्लावित, नदियों के किनारे किसानों की ऐसी भूमि जिस पर नीलगाय/अन्य जंगली जानवरों के प्रकोप के कारण सामान्य खेती लगभग अलाभकर हो चुकी कृषि भूमि तथा ऐसी ही कृषि हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर बायोमास उत्पादन का कार्य बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जायेगा। "वैल्यू-चेन-मैकेनिज्म" के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में संचालित किये जाने वाले इस कार्य हेतु वित्तीय संसाधन विभिन्न विकास परियोजनाओं के कन्वर्जन्स/प्रोजेक्ट मोड (आर०के०वी०वाई०, एन०ए०एफ०सी०सी०, एन०आर०एल०एम० इत्यादि) में उपलब्ध कराया जायेगा। फसल अपशिष्टों की उपलब्धता रवी, खरीफ तथा जायद की फसलों के दौरान अधिकतम तीन-चार माह तक ही उपलब्ध हो सकेगी किन्तु इस प्रयास से सम्बन्धित उद्यमों को वर्षपर्यन्त आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी। साथ ही कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि पर बायोमास कल्टीवेशन करने से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी तो होगी ही, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होगा।

11.0 कार्यक्रम के लागू होने के उपरांत सम्भावित उपलब्धियाँ:

प्रस्तावित जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के लागू होने के उपरांत निम्नलिखित प्रत्यक्ष तथा परोक्ष उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी:-

11.1 वैकल्पिक ईधन का सतत उत्पादन: समस्त प्रकार के जैव अपशिष्टों (काष्ठीय तथा मॉसल प्रजाति) का वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित तथा उत्पादक प्रबन्धन होने की स्थिति में जैव ऊर्जा उत्पादन कार्य, जिसमें ठोस, द्रव एवं गैसीय ईधन सम्मिलित है, सतत रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता ये वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रारम्भ हो जायेगे। इससे पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता उत्तरोत्तर रूप से कम होगी।

11.2 सकल कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा कृषक आय सम्बद्धन: जैव ईंधन उत्पादन हेतु आवश्यक समस्त प्रकार के बायोमास के उत्पादन हेतु कृषि एवं बागवानी हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे किसानों के ऊसर, बंजर, बीहड़, परती, जल प्लावित इत्यादि क्षेत्रों का उपयोग बढ़ जायेगा। इससे प्रदेश के सकल कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश के जी0डी0पी0 पर होगा। साथ ही प्राथमिक कृषि निवेश जैसे सिंचाई हेतु डीजल के स्थान पर बायोडीजल/बायोगैस/बायो सी0एन0जी0, रसायनिक खाद के स्थान पर बायो मैन्योर इत्यादि का प्रयोग उत्तरोत्तर रूप से बढ़ेगा। जिससे प्रति इकाई कृषिकरण की लागत कम होगी। फसलों की कटाई के बाद अवशेष कृषि अपशिष्टों को बायोमास के रूप प्रयोग करने पर कृषि अपशिष्ट जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा जिससे सर्दियों में स्मोग जैसी पर्यावरण समस्या से सतत रूप से छुटकारा मिल जायेगा। इस प्रयास से किसानों की आय में गुणात्मक बढ़ोत्तरी होगी।

11.3 आफ-ग्रिड मोड में लागत प्रभावी दरों पर विद्युत तथा अन्य वैकल्पिक पर्यावरण प्रिय ईंधन की सुविधा: प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तरीय इकाईयों के संचालन हेतु आवश्यक विद्युत ऊर्जा की अपूर्ति आफ-ग्रिड-मोड में जैव ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को भी आफ-ग्रिड-मोड में विद्युत उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रयास से विद्युत ग्रिड पर अधिभार कम होगा तथा सम्बन्धित इकाई को नियमित विद्युत आपूर्ति के अभाव में होने वाले नुकसान से भविष्य में प्रत्यक्ष रूप से बचाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों में स्थापित भट्ठियों तथा व्यायालर इत्यादि में परम्परागत कोयले के स्थान पर बायोकोल का उपयोग किया जायेगा। इस प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को तो बल मिलेगा ही साथ ही विद्युत ग्रिड पर से अधिभार उत्तरोत्तर रूप से कम होगा एवं परम्परागत कोयले की खपत भी कम होगी। उक्त प्रयास से सरकार तथा उद्योग दोनों ही के लिये "win-win" की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी परिस्थिति में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की बायोमास आधारित ग्रिड-इंटर-एकिटव परियोजनाओं को जैव ऊर्जा ऊर्धम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अनुमन्य नहीं होंगी। उक्त बिन्दु 4.2.2 में विभिन्न सोपानों पर जैव ऊर्जा ऊर्धम प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु गठित समितियाँ स्वीकृति प्रक्रिया के दौरान इस बिन्दु को विशेष रूप से सन्दर्भित करेगी।

11.4 जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का पर्यावरण प्रिय तरीके से नियंत्रण: समस्त प्रकार के जैव अपशिष्टों का सुनियोजित प्रबन्धन होने तथा जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु बायोमास

कल्टीवेशन/प्लाण्टेशन कार्यक्रम के नियमित संचालित होने से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को भी उत्तरोत्तर रूप से नियंत्रित करने में सहयोग प्राप्त होगा।

11.5 गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग: बायो गैस/बायो सी0एन0जी0 परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य सरकार द्वारा गोवंश की रक्षा हेतु स्थापित की जाने वाली गौशालाओं एवं पूर्व से संचालित गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही गौशालाओं के कैम्पस में तथा उसके आस पास होने वाली गंदगी से भी स्थायी रूप से छुटकारा प्राप्त हो जायेगा।

11.6 स्वरोजगार अवसरों का सृजन एवं लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 का प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग: उक्त समस्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को क्षेत्रीय स्तर पर स्वरोजगार के असंख्य अवसर भी सृजित होंगे। इस प्रयास से राज्य सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में वर्णित विभिन्न बिन्दुओं जैसे- किसानों की आय दोगुना किया जाना, आर्गनिक खेती, पर्यावरण संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, युवाओं को सतत स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी एक साथ पूर्ण करने में सहयोग प्राप्त होगा।

12.0 उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि:-

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम की प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (Guidelines) में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किये जाने के लिये मात्र मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं।

13.0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित विभाग:

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित विभागों को सम्मिलित किया गया है जो निम्नवत हैं:-

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, वित विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, व्यावसायिक कर (जी0एस0टी0) विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग तथा चीनी उद्योग विभाग एवं गन्ना विकास विभाग, संस्थागत वित्त विभाग,

उपरोक्तानुसार जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 4/2018/151(1)/35-1-2018, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन को मुख्य सचिव के अवगतार्थ।
3. स्टॉफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त के अवगतार्थ।
4. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, ३०प्र० शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
7. समस्त जिलाधिकारी, ३०प्र०।
8. सचिव, ३०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, ३०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ।
10. नियोजन विभाग (अनुभाग-1/2/3)
11. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(आर०एन०एस० यादव)
विशेष सचिव।